वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश

महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ गृह विभाग (कारा) बिहार पटना के पत्रांक 260 दिनांक 11.01.18 एवं निदेशक बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर के पत्रांक 15 दिनांक 14.03.18 द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार एक अनारक्षित, एक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, एक अनारक्षित महिला एवं एक अनुसूचित जाति कुल चार कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

दिनांक 30.05.17 को आयोजित चयन समिति सह जिला स्थापना समिति की बैठक में अनुसूचित जाति के 35 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को अन्य कार्यालयों एवं विभागों में कार्य हेतु उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में पैनल में 35 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। जिला स्तर पर तैयार पैनल में किसी भी कोटि में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विभागीय पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 में प्रावधानित है कि महिला अभ्यर्थियो की अनुपलब्धता की स्थिति में संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवारो से पदो को भरा जा सकेगा। जिला स्तर पर संधारित पैनल से निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

क0	आई0 डी0 सं0	नाम / पिता का नाम	आरक्षण कोटि	कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	VAI 002554	प्रभाकर झा पिता विनोद कुमार झा	अनारक्षित	बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर	
2	VAI 000341	तारकेश्वर कुमार पिता सुरेन्द्र साह	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर	
3	VAI 000664	रवि कुमार नीरज पिता दया राज तिवारी	अनारक्षित	बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर	विभागीय पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.16 के आलोक में

शर्ते :-

1. नियोजन हेतु नियोजन पत्र संबंधित विभाग / पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2. इन्हें दिनांक 17/4/18........... तक अंकित कार्यालय में योगदान करना होगा।
3. इनका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना सूचना के नियोजन समाप्त करने का अधिकार संबंधित पदाधिकारी / नियोक्ता का होगा।
4. विभागीय निदेश के आलोक में संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. वे सभी कार्य जो विभागीय पदाधिकारी / नियोक्ता उन्हें कार्यहित में आवंटित करेंगे, उसका सुदृढ़ता से ससमय अनुपालन करना होगा।

6. योगदान हेतु किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस संविदा पर किये गये नियोजन के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नियुक्ति संबंधी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक– 288 /जि०स्था० दिनांक– 13.04.2018 /

प्रतिलिपि – महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ गृह विभाग (कारा) बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – निदेशक, बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – मिशन निदेशक, बिहार, प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि – सभी संबंधित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित है कि निम्नांकित उपस्करों (क) एक डेस्क टॉप (ख) एक प्रिन्टर (ब्लैक एण्ड व्हाईट) (ग) एक यू०पी०एस० (घ) इन्टरनेट कनेक्शन डिभाईस के साथ अपना योगदान पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका बाद में नियोजन हेतु दावा अमान्य कर दिया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।